



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1937 (श०)

(सं० पटना 1053) पटना, बुधवार, 16 सितम्बर 2015

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर 2015

सं० बी०३-९५/२०१५-२४—बिहार विधान—सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर 131—कल्याणपुर (अ.जा०), 132—वारिसनगर, 133—समस्तीपुर, 134—उजियारपुर, 135—मोरवा, 136—सरायरंजन, 137—मोहिउदीननगर, 138—विभूतिपुर, 139—रोसड़ा (अ.जा०), 140—हसनपुर, 141—चेरिया बरियारपुर, 142—बछवाड़ा, 143—तेघड़ा, 144—मटिहानी, 145—साहेबपुर कमाल, 146—बेगूसराय, 147—बखरी (अ०जा०), 148—अलौली (अ०जा०), 149—खगड़िया, 150—बेलदौर, 151—परबत्ता, 152—बिहुपुर, 153—गोपालपुर, 154—पीरपेंती (अ०जा०), 155—कहलगांव, 156—भागलपुर, 157—सुलतानगंज, 158—नाथनगर, 159—अमरपुर, 160—धौरैया (अ०जा०), 161—बांका, 162—कटोरिया (अ०ज०जा०), 163—बेलहर, 164—तारापुर, 165—मुंगेर, 166—जमालपुर, 167—सूर्यगढ़ा, 168—लखीसराय, 169—शेखपुरा, 170—बरबीघा, 235—रजौली (अ.जा०), 236—हिसुआ, 237—नवादा, 238—गोविन्दपुर, 239—वारसलीगंज, 240—सिकन्दरा (अ०जा०), 241—जमुई, 242—झाझा एवं 243—चकाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०— बी०३-९५/२०१५-२३ दिनांक 16.09.2015 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं०-४६४/बिहार-वि.स./२०१५ दिनांक 16.09.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव—सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

निर्वाचन विभाग**अधिसूचना****16 सितम्बर 2015**

सं0 बी1-3-95/2015-23—यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड 1 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है ता, 29 नवम्बर, 2015 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः अबः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतदद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
131—कल्याणपुर (अ.जा.)
132—वारिसनगर
133—समस्तीपुर
134—उजियारपुर
135—मोरवा
136—सरायरंजन
137—मोहिउददीननगर
138—विभूतिपुर
139—रोसड़ा (अ.जा.)
140—हसनपुर
141—चेरिया बरियारपुर
142—बछवाड़ा
143—तेघड़ा
144—मटिहानी
145—साहेबपुर कमाल
146—बेगूसराय
147—बखरी (अ.जा.)
148—अलौली (अ.जा.)
149—खगड़िया
150—बेलदौर

151—परबत्ता
152—बिहुपुर
153—गोपालपुर
154—पीरपेंती (अ.जा.)
155—कहलगांव
156—भागलपुर
157—सुलतानगंज
158—नाथनगर
159—अमरपुर
160—धोरैया (अ.जा.)
161—बांका
162—कटोरिया (अ.ज.जा.)
163—बेलहर
164—तारापुर
165—मुंगेर
166—जमालपुर
167—सूर्यगढ़ा
168—लखीसराय
169—शेखपुरा
170—बरबीघा
235—रजौली (अ.जा.)
236—हिसुआ
237—नवादा
238—गोविन्दपुर
239—वारसलीगंज
240—सिकन्दरा (अ.जा.)
241—जमुई
242—झाझा
243—चकाई

राज्यपाल के नाम व उनके आदेश से,
बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

ELECTION DEPARTMENT**NOTIFICATION***The 16th September 2015*

No. B1-3-95/2015-23—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 29th November, 2015 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the state of Bihar ;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:—

TABLE

Number and name of Assembly Constituency
131-Kalyanpur(SC)
132-Warisnagar
133-Samastipur
134-Ujiarpur
135-Morwa
136-Sarairajan
137-Mohiuddinnagar
138-Bibhutipur
139-Rosera(SC)
140-Hasanpur
141-Cheria Bariarpur
142-Bachhwara
143-Teghra
144-Matihani
145-Sahebpur Kamal
146-Begusarai
147-Bakhri (SC)
148-Alauli (SC)
149-Khagaria
150-Beldaur

151-Parbatta
152-Bihpur
153-Gopalpur
154-Pirpainti (SC)
155-Kahalgaoon
156-Bhagalpur
157-Sultanganj
158-Nathnagar
159-Amarpur
160-Dhauraiya (SC)
161-Banka
162-Kotoria(ST)
163-Belhar
164-Tarapur
165-Munger
166-Jamalpur
167-Suryagarha
168-Lakhisarai
169-Sheikhpura
170-Barbigha
235-Rajauli (SC)
236-Hisua
237-Nawada
238-Gobindpur
239-Warsaliganj
240-Sikandra (SC)
241-Jamui
242-Jhajha
243-Chakai

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR,
 CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BIHAR.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 (शक)

सं 464/बिहार-वि.स./2015:- यतः बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	23 सितम्बर, 2015 (बुधवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	24 सितम्बर, 2015 (बृहस्पतिवार)
(ग) अन्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख :	26 सितम्बर, 2015 (शनिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	12 अक्टूबर, 2015 (सोमवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा।	12 नवम्बर, 2015 (वृहस्पतिवार)

नियत करता है; और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को सारणी के स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
131—कल्याणपुर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
132—वारिसनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
133—समस्तीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
134—उजियारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
135—मोरवा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
136—सरायरंजन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
137—मोहिउद्दीननगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
138—विभूतिपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
139—रोसड़ा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
140—हसनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
141—चेरिया बरियारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
142—बछवड़ा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
143—तेघड़ा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
144—मटिहानी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
145—साहेबपुर कमाल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
146—बेगूसराय	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
147—बखरी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
148—अलौली (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
149—खगड़िया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
150—बेलदौर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

151—परबत्ता	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
152—बिहुपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
153—गोपालपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
154—पीरपैंती (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
155—कहलगांव	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
156—भागलपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
157—सुलतांगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
158—नाथनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
159—अमरपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
160—धोरेया (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
161—बांका	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
162—कटोरिया (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
163—बेलहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
164—तारापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
165—मुगेर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
166—जमालपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
167—सूर्यगढ़ा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
168—लखीसराय	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
169—शेखपुरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
170—बरबीघा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
235—रजौली (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
236—हिसुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
237—नवादा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
238—गोबिन्दपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
239—वारसलीगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
240—सिकन्दरा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
241—जमुई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
242—झाझा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
243—चकाई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 16th September, 2015/

25 Bhadrapada 1937 (Saka)

No. 464/BR-LA/2015 :- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by a notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the 16th September, 2015, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column(1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

NOW, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby :-

- (A) appoints with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table
 - (a) the 23rd September, 2015 (Wednesday) as the last date for making nominations
 - (b) the 24th September, 2015 (Thursday) as the date for scrutiny of nominations
 - (c) the 26th September, 2015 (Saturday) as the last date for withdrawal of candidatures
 - (d) the 12th October, 2015 (Monday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
 - (e) the 12th November, 2015 (Thursday) as the date before which the election shall be completed
- and
- (B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above in the corresponding Constituency shown in column (1) of the Table :

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
131-Kalyanpur (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
132-Warisnagar	7.00 AM to 5.00 PM
133-Samastipur	7.00 AM to 5.00 PM
134-Ujiarpur	7.00 AM to 5.00 PM
135-Morwa	7.00 AM to 5.00 PM
136-Sarairanjan	7.00 AM to 5.00 PM
137-Mohiuddinnagar	7.00 AM to 5.00 PM
138-Bibhutipur	7.00 AM to 5.00 PM
139-Rosera (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
140-Hasanpur	7.00 AM to 5.00 PM
141-Cheria Bariarpur	7.00 AM to 5.00 PM
142-Bachhwara	7.00 AM to 5.00 PM
143-Teghra	7.00 AM to 5.00 PM
144-Matihani	7.00 AM to 5.00 PM
145-Sahebpur Kamal	7.00 AM to 5.00 PM
146-Begusarai	7.00 AM to 5.00 PM
147-Bakhri (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
148-Alauli (SC)	7.00 AM to 4.00 PM
149-Khagaria	7.00 AM to 5.00 PM
150-Beldaur	7.00 AM to 4.00 PM
151-Parbatta	7.00 AM to 5.00 PM
152-Bihpur	7.00 AM to 5.00 PM
153-Gopalpur	7.00 AM to 5.00 PM
154-Pirpainti (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
155-Kahalgaon	7.00 AM to 5.00 PM
156-Bhagalpur	7.00 AM to 5.00 PM
157-Sultanganj	7.00 AM to 5.00 PM
158-Nathnagar	7.00 AM to 5.00 PM
159-Amarpur	7.00 AM to 5.00 PM
160-Dhauraiya (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
161-Banka	7.00 AM to 5.00 PM
162-Katoria (ST)	7.00 AM to 4.00 PM
163-Belhar	7.00 AM to 4.00 PM
164-Tarapur	7.00 AM to 3.00 PM
165-Munger	7.00 AM to 5.00 PM

166-Jamalpur	7.00 AM to 3.00 PM
167-Suryagarha	7.00 AM to 3.00 PM
168-Lakhisarai	7.00 AM to 5.00 PM
169-Sheikhpura	7.00 AM to 5.00 PM
170-Barbigha	7.00 AM to 5.00 PM
235-Rajauli (SC)	7.00 AM to 3.00 PM
236-Hisua	7.00 AM to 5.00 PM
237-Nawada	7.00 AM to 5.00 PM
238-Gobindpur	7.00 AM to 3.00 PM
239-Warsaliganj	7.00 AM to 5.00 PM
240-Sikandra (SC)	7.00 AM to 3.00 PM
241-Jamui	7.00 AM to 3.00 PM
242-Jhajha	7.00 AM to 3.00 PM
243-Chakai	7.00 AM to 3.00 PM

By Order,
R. K. SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1053-571+300-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>